प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगलपीठ: माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधीश,

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश

दांडिक अपील क्रं-10/1993

मोहन और अन्य

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़ राज्य)

निर्णय

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विचारार्थ हेतु

सही/-

सुनील कुमार सिन्हा न्यायाधीश

माननीय श्री न्यायधीश राजीव गुप्ता

मैं सहमत हूँ

सही/-

मुख्य न्यायाधीश

28/11/2010

निर्णय के लिए सूचीबद्ध करें:

30/11/2010

सही/-

सुनील कुमार सिन्हा न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगलपीठ : माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधीश,

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश

दांडिक अपील संख्या 10/1993

अपीलकर्ता

1. मोहन, पिता पुनाराम कुर्मी, आयु लगभग 30 वर्ष,

2. कृष्णा, पिता पुसऊ कुर्मी, आयु लगभग 30 वर्ष,

3. चेतराम, पिता मुखिया कुर्मी, आयु लगभग 30 वर्ष,

4. जीतराम (गलती से जातराम लिखा गया), पिता अमोल कुर्मी, आयु लगभग 40 वर्ष,

5. पुसऊ, पिता बनऊ कुर्मी, आयु लगभग 53 वर्ष

(मृत - नाम आदेश दिनांक 21.9.2005 द्वारा विलोपित कर दिया गया)

6. चेतन, पिता संतराम कुर्मी, आयु लगभग 28 वर्ष

7. महेतराम, पिता रामलाल कुर्मी, आयु लगभग 55 वर्ष

8. सिंधी उर्फ शिव नारायण, पिता मुखिया कुर्मी, आयु लगभग 23 वर्ष

9. भगेला, पिता इतवारी कुर्मी, आयु लगभग 35 वर्ष

(सभी निवासी ग्राम मोछ, थाना तखतपुर, जिला बिलासपुर, म.प्र. (अब छत्तीसगढ़)

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>प्रत्यर्थीगण</u> मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़ राज्य), थाना तखतपुर, जिला बिलासपुर।

<u>(दांडिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 (2) के तहत दांडिक अपील)</u>

—

उपस्थितिः अपीलकर्ताओं के लिए---------- सुश्री शर्मीला सिंघई, अधिवक्ता।

राज्य के लिए---------- श्री अखिल मिश्रा, उप शासकीय अधिवक्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>दांडिक अपील संख्या 10/1993</u>

<u>निर्णय</u>

(30.11.2010)

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय **माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश** द्वारा पारित किया गया

1. यह अपील तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 216/88 में पारित निर्णय दिनांक 24 दिसंबर, 1992 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. दोष सिद्ध के निर्णय द्वारा, अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 148 और 302/149 के तहत दोषी ठहराया गया है और उन्हें क्रमशः 1 वर्ष के कठोर कारावास और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

3. अपीलकर्ता संख्या 5- पुसऊ की अपील लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो गई, इसलिए, आदेश दिनांक 21.9.2005 द्वारा उनका नाम विलोपित कर दिया गया है और

अपीलकर्ता संख्या 5 की ओर से दायर अपील को उपशमित मानकर खारिज कर दिया गया है।

4. संक्षिप्त रूप में तथ्य इस प्रकार हैं:-

अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि दिनांक 10.12.87 को लगभग 3:00 बजे, अपीलकर्ताओं ने एक अवैध जमाव का गठन किया गया, लाठियों के साथ बलवा में भाग लिया, और उस सभा के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में मृतक-गोकुल पटेल की हत्या कर दी। संतोष कुमार गौराहा ने इस घटना को देखा, जिसने उसी दिन लगभग 17.30 बजे प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श-पी/1) दर्ज कराई। एफ.आई.आर. (प्रदर्श-पी/1) में, उन्होंने अपीलकर्ताओं का नाम लिया और बहुत विशेष रूप से उल्लेख किया कि अपीलकर्ता लाठियों से सुसज्जित थे और उन्होंने मृतक पर लाठियों से हमला किया। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि पंचराम गोंड, दिलीप गोंड (अ.सा.-7), गोदावरी बाई और गणेशराम कुर्मी ने भी घटना देखी। शव परीक्षण प्रतिवेदन में डॉ. हबीब (अ.सा.-5) ने मृतक के शरीर पर निम्नलिखित बाहरी चोटें देखीं:-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(i) दाहिनी पैराइटल क्षेत्र पर 4.5 इंच x त्वचा की गहराई तक काँटा हुआ घाव;

(ii) बाईं पैराइटल क्षेत्र पर 3 इंच x त्वचा की गहराई तक काँटा हुआ घाव;

(iii) ऊपरी होंठ के दाहिनी ओर ½ इंच का काँटा हुआ घाव;

(iv) बाईं स्कैपुलर क्षेत्र पर कई कोमलता के साथ घर्षण ;

(v) बाईं बांह के अग्रभाग पर फ्रैक्चर;

(vi) दाहिनी कोहनी के निचले हिस्से पर ½ इंच x त्वचा की गहराई तक काँटा हुआ घाव;

(vii) पीठ पर अनेक भीतरी चोट

(viii) दाहिने घुटने के ठीक नीचे ½ इंच का काँटा हुआ घाव और

(ix) दोनों घुटनों पर अनेक घर्षण।

आंतरिक परीक्षण में, उन्होंने सिर पर चोटों के नीचे रैखिक दरार जैसी अवसाद पाया। दाहिनी स्कैपुलर हड्डी पर फ्रैक्चर था। दाहिनी 5वीं और 8वीं पसलियों पर

फ्रैक्चर थे। पीठ की ओर 7वीं और 8वीं पसलियों पर भी फ्रैक्चर थे। दोनों फेफड़ों के निचले लोब पर चोटें थीं और गाढ़ा खून बाहर आ रहा था। बाएं रेडियस और अल्ना हड्डियों पर फ्रैक्चर था। उन्होंने राय दी कि सिर की चोटें तेज धार वाली वस्तु से लगी थीं और छाती की दीवार, स्कैपुलर क्षेत्र, बांहों आदि पर चोटें क्लब (लाठियों) के भारी वार से लगी थीं। मौत का कारण महत्वपूर्ण अंग में चोटों के परिणामस्वरूप रक्तस्राव और सदमा था और मृत्यु मानव वध प्रकृति की थी। शव परीक्षण आवेदन प्रदर्श-पी/16 है और शव परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्श-पी/17 है।

हालांकि, पंचराम गोंड, गोदावरी बाई और गणेशराम कुर्मी का भी एफ.आई.आर. (प्रदर्श .-पी/1) में चश्मदीद गवाहों के रूप में उल्लेख किया गया था, लेकिन अभियोजन पक्ष ने उनकी परीक्षण नहीं कराया है। अभियोजन पक्ष ने संतोष कुमार गौराहा (अ.सा.-1), दिलीप (अ.सा.-7), फागुराम (अ.सा.-8) और गेंदराम (अ.सा.-9) को चश्मदीद गवाहों के रूप में परीक्षण कराया है। माननीय सत्र न्यायाधीश ने दिलीप (अ.सा.-7), फागुराम (अ.सा.-8) और गेंदराम (अ.सा.-9) की गवाहियों पर भरोसा नहीं किया। हालांकि, संतोष कुमार गौराहा (अ.सा.-1) की एकमात्र गवाही पर भरोसा करते हुए, अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. अपीलकर्ताओं की ओर से पेश सुश्री शर्मीला सिंघई, विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि संतोष कुमार गौराहा (अ.सा.-1) की एकमात्र गवाही विश्वसनीय नहीं थी; उन्होंने बयान दिया कि अपीलकर्ताओं ने मृतक पर केवल लाठी से हमला किया, जबकि, मृतक के शरीर पर कई कटें हुए घाव मिले थे; इसलिए, चश्मदीद गवाह के साक्ष्य और चिकित्सीय साक्ष्य एक दूसरे से भिन्न थे। संतोष (अ.सा.-1) ने यह भी स्वीकार किया कि गाँव में पार्टी बंदी थी, और शिकायतकर्ता और आरोपी पक्ष अलग-अलग समूहों से संबंधित थे; उनके खिलाफ कई दांडिक मामले चलाए गए थे; इसलिए, अ.सा.-1 की एकमात्र गवाही विश्वसनीय नहीं थी।

6. इसके विपरीत, राज्य की ओर से पेश श्री अखिल मिश्रा, विद्वान उप शासकीय अधिवक्ता ने इन तर्कों का विरोध किया और सत्र न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का समर्थन किया।

7. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागणो को विस्तार से सुना है और सत्र मामले के अभिलेखों का भी अवलोकन किया।

8. विद्वान सत्र न्यायाधीश ने दिलीप (अ.सा.-7), फागुराम (अ.सा.-8) और गेंदराम (अ.सा.-9) की के अभिसाक्ष्य पर इस आधार पर अविश्वास किया है कि शुरू में उन्होंने कहा था कि मृतक पर अभियुक्तों द्वारा लाठियों से हमला किया गया था, लेकिन बाद में, उन्होंने अपने बयानों को अतिरंजित करते हुए कहा कि अभियुक्तों द्वारा मृतक पर हमला करने के लिए 'तब्बल' का इस्तेमाल किया गया था। सत्र न्यायाधीश ने देखा कि उपर्युक्त 3 चश्मदीद गवाहों के 161 बयानों में अभियुक्त व्यक्ति द्वारा तब्बल का इस्तेमाल एक त्रुटि थी। एक चश्मदीद गवाह, संतोष कुमार गौराहा (अ.सा.-1) द्वारा तुरंत दर्ज की गई एफ.आई.आर. (प्रदर्श-पी/1) में भी तब्बल के इस्तेमाल का उल्लेख नहीं था। यहां तक कि एफ.आई.आर. में यह भी नहीं आया कि कुछ अभियुक्त व्यक्ति तब्बल से सुसज्जित थे। ऐसा प्रतीत होता है कि चूंकि शव परीक्षण करने वाले शल्प चिकित्सक ने पाया कि मृतक के शरीर पर काँटा हुआ घाव भी था, इसलिए इन गवाहों द्वारा उपरोक्त अतिशयोक्ति की गई और इस कारण से, सत्र न्यायालय द्वारा उनके अभिसाक्ष्यों पर अविश्वास किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. अब हम संतोष कुमार गौराहा (अ.सा.-1) के साक्ष्य पर विचार करेंगे।

10. संतोष कुमार गौराहा (अ.सा.-1) ने सभी अपीलकर्ताओं की भागीदारी के बारे में बयान दिया और उन्होंने बहुत विशेष रूप से बयान दिया कि अपीलकर्ताओं ने मृतक पर लाठियों से हमला किया था। न तो एफ.आई.आर. (प्रदर्श-पी/1) में और न ही उनके न्यायालय के साक्ष्य में, उन्होंने किसी भी अपीलकर्ता द्वारा किसी भी तेज धार वाले

हथियार के इस्तेमाल के बारे में बयान दिया। हालांकि उन्होंने एफ.आई.आर. में सभी अपीलकर्ताओं का नाम पूरे विवरण के साथ लिया है, लेकिन उन्होंने कभी यह उल्लेख नहीं किया कि उनमें से कोई भी तेज धार वाला हथियार ले जा रहा था। इसलिए, हम पाते हैं कि इस गवाह का साक्ष्य चिकित्सा साक्ष्य से भिन्न था। शव परीक्षण करने वाले शल्प चिकित्सक ने स्पष्ट रूप से राय दी है कि मृतक को लगी कई चोटें तेज धार वाले हथियार से हुई थीं, जबकि, संतोष कुमार गौराहा (अ.सा.-1) के अनुसार, हमलावरों में से कोई भी तेज धार वाले हथियार से सुसज्जित नहीं था। श्री अखिल मिश्रा ने तर्क दिया है कि यह हो सकता है कि इस गवाह ने पूरी घटना नहीं देखी हो और उसने केवल उस हिस्से को देखा हो जिसमें मृतक पर लाठियों से हमला किया गया था। हम उक्त तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। संतोष कुमार गौराहा (अ.सा.-1) ने प्रत्येक अपीलकर्ता द्वारा ले जाए गए हथियार का विवरण दिया है और बहुत स्पष्ट रूप से बयान दिया है कि अपीलकर्ता केवल लाठियां ले जा रहे थे। यदि अपीलकर्ताओं या उनमें से किसी ने मृतक पर तेज धार वाले हथियारों से हमला किया होता, तो वे ऐसे हथियारों से सुसज्जित पाए जाते, लेकिन अभियोजन पक्ष का मामला इस बिंदु पर बहुत स्पष्ट है। अ.सा.-1 के स्पष्ट और असंदिग्ध कथन के आधार पर, सभी अपीलकर्ता केवल लाठियों से सुसज्जित थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. चिकित्सीय साक्ष्य, चश्मदीद गवाह की अभिसाक्ष्य एक परीक्षण के रूप में कार्य करता है। यह एक स्वतंत्र साक्ष्य भी है क्योंकि यह चोट की प्रकृति और आयाम आदि तथ्यों को स्थापित करता है। चिकित्सा साक्ष्य चश्मदीद गवाह की गवाही की पुष्टि भी करता है, क्योंकि यह दिखा सकता है कि चोटें चश्मदीद गवाह द्वारा बताए गए तरीके से लगी हो सकती हैं और बचाव पक्ष चिकित्सा साक्ष्य का उपयोग यह दिखाने के लिए कर सकता है कि चोटें बताए गए अनुसार नहीं लगी होंगी, और इस प्रकार चश्मदीद गवाह की गवाही को अमान्य कर सकता है। चिकित्सा साक्ष्य के आलोक में अ.सा.-1 के साक्ष्य के मूल्यांकन में, उनकी एकमात्र गवाही पर संदेह उत्पन्न होता है क्योंकि अ.सा.-1 के साक्ष्य और चिकित्सा साक्ष्य में बहुत भिन्नता है।

12. संतोष कुमार गौराहा (अ.सा.-1) ने अपनी प्रतिपरीक्षा के कंडिका 6 और 7 में यह भी स्वीकार किया कि उनके गाँव में पार्टी बंदी थी; वह एक पार्टी का नेता है और बिजयराम और सिंग्रौल विपक्षी पार्टी के नेता हैं। अभियुक्त व्यक्ति पहले उनकी पार्टी के सदस्य थे, लेकिन बाद में, वे बिजयराम की पार्टी में चले गए थे। उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि उनकी प्रतिपरीक्षा के कंडिका-6 में उल्लिखित विभिन्न आपराधिक मामलों के अलावा, गाँव की दोनों पार्टियों के व्यक्तियों के बीच गंभीर प्रकृति के कई अन्य आपराधिक मामले लंबित थे।

13. इस गवाह (अ.सा.-1) के पूरे साक्ष्य के मूल्यांकन पर, विशेष रूप से उनके गाँव में पार्टी बंदी और 2 समूहों के बीच आपराधिक मामलों की संख्या लंबित होने की उनकी स्वीकारोक्ति के आलोक में, साथ ही इस गवाह के साक्ष्य और चिकित्सा साक्ष्य में विसंगति, हम इस सुविचारित राय के हैं कि संतोष कुमार गौराहा (अ.सा.-1) का अभिसाक्ष्य विश्वसनीय नहीं थी और इस गवाह की एकमात्र गवाही के आधार पर दोषसिद्धि करना सुरक्षित नहीं था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. तदनुसार, हम अपील को स्वीकार करते हैं और अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 148 और 302/149 के तहत दी गई दोषसिद्धि और दंड को अपास्त करते हैं। अपीलकर्ताओं को उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। यह कहा गया है कि अपीलकर्ता जमानत पर हैं। उनके बंध पत्र निरस्त किए जाते हैं और प्रतिभूति उन्मोचित होते हैं।

सही/-

मुख्य न्यायाधीश

सही/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

अस्वीकरणः

हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By .....

MANISH CHANDRAKAR

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur